

-:- प्रेस नोट -:-

कोतवाली घाटमपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर। (दिनांक 18.11.2022)

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोन दक्षिण कमिश्नरेट कानपुर नगर के कुशल निर्देशन व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त घाटमपुर श्री दिनेश कुमार शुक्ल तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घाटमपुर रामबाबू सिंह के कुशल नेतृत्व में जघन्य अपराधों में वांछित वारण्टी/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व निरोधात्मक कार्यवाही अभियान के मद्देनजर थाना हाजा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 531/21 धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11(2) पशु क्रूरता अधिनियम थाना घाटमपुर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जावेद उर्फ गिट्टल पुत्र रशीद निवासी नौबस्ता पूर्वी थाना घाटमपुर कानपुर नगर को मुखबिरखास की सूचना पर मूसानगर रोड पर रेउना मोड थाना क्षेत्र घाटमपुर से आवश्यक बल प्रयोग कर हिरासत पुलिस में लिया गया। जिन्हे सम्बन्धित न्यायालय पेश किया जा रहा है।



➤ गिरफ्तार (नाम/पता) अभियुक्तगण -

❖ जावेद उर्फ गिट्टल पुत्र रशीद निवासी नौबस्ता पूर्वी थाना घाटमपुर कानपुर नगर उम्र करीब 38 वर्ष

➤ आपराधिक इतिहास -

❖ मु0अ0सं0 531/2021 धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11(2) पशु क्रूरता अधिनियम थाना घाटमपुर।

❖ मु0अ0सं0 142/2006 धारा 379/411 भादवि0

❖ मु0अ0सं0 162/2011 धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा अधि0

- ❖ मु0अ0सं0 265/2010 धारा 3/5/8 गो हत्या निवारण अधि0
- ❖ मु0अ0सं0 301/2010 धारा 3/5/8 गो हत्या निवारण अधि0
- ❖ मु0अ0सं0 146/2006

❖ गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र नारायण शुक्ला थाना घाटमपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर ।
2. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना घाटमपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर ।
3. का0 72 राजवीर सिंह थाना घाटमपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर ।